भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3168

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण

3168. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश भर में सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और शहरी विकास परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्षा जल भंडारण और भू-जल पुनर्भरण में सुधार लाने के लिए पारंपरिक जल निकायों, तालाबों, झीलों और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन से भू-जल स्तर और जल सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): जल के राज्य का विषय होने के कारण, जल संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

"जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू की गई थी। जून 2025 में, जेएसजेबी 2.0 शुरू किया गया था। जेएसजेबी 2.0 के लिए कार्यान्वयन चक्र 1 जून 2025 को शुरू हुआ और 31 मई 2026 को समाप्त हुआ।

जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन (जेएसजेबी: सीटीआर)- 2026, 1 जून 2026 को जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के क्षेत्र को बढ़ाने और साथ ही इसे जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के साथ एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था। जेएसजेबी पहल कम लागत और संतृप्ति मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक कार्रवाई और एकत्रीकरण को तेज करने पर बल देता है। जेएसजेबी 1.0, जेएसजेबी 2.0 और जेएसजेबी: सीटीआर 2026 पहलों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

यह पहल स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके, वर्षा जल संचयन के लिए, भूजल स्तर को बढ़ावा देने और जल के मुद्दों के लिए स्थानीय रूप से समाधान प्रदान करने के लिए बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष और अन्य का उपयोग करती है। इस पहल में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रोप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) और वित्त आयोग अनुदान से अभिसरण (कनवर्जेंट) वित्तपोषण पर भी बल दिया गया है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जल की एक-एक बूंद को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, संपूर्ण समाज और संपूर्ण-सरकार के दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाए। सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर, यह पहल जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए सूक्ष्म स्तर पर लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है। यह पहल 3सी सिद्धांत-समुदाय, सीएसआर और लागत द्वारा निर्देशित है, जो प्रभावी अभिसरण (कनवर्जेंस) और अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करती है। सरकार इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ भागीदारी में इस पहल को बढ़ावा देती है। इस पहल का उद्देश्य व्यापक समुदाय को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, सीविल सोसायटी और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हितधारकों के साथ साझेदारी करना है। इस अभियान की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल - जेएसजेबी: सीटीआर (https://jsjb.mowr.gov.in) के माध्यम से की जाती है।

वर्ष 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल की कमी वाले 256 जिलों में समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के रूप में इस अभियान की शुरुआत "कैच द रेन: व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" संदेश के साथ की। तब से, जेएसए: सीटीआर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसने स्थानीय कार्रवाई और संस्थागत अभिसरण (कनवर्जेंस) के माध्यम से जल सुरक्षा के लिए भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया। जेएसए: सीटीआर अभियान को देश भर में

लागू किया गया था और प्रत्येक संस्करण में सर्वोतम प्रभावों के लिए वर्ष 2023 से एक लक्षित फोकस को शामिल किया गया था। जेएसए: सीटीआर 2023, "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ, जल जीवन मिशन द्वारा पहचाने गए 150 विशेष फोकस जिलों को प्राथमिकता दी गई। जेएसए: सीटीआर 2024 अभियान, जिसका विषय "नारी शक्ति से जल शक्ति" है, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पहचाने गए 151 जिलों पर विशेष फोकस के साथ देश भर में चलाया गया। जेएसए: सीटीआर 2025 को "जल संचय जनभागीदारी: जन जागरूकता की ओर" विषय के साथ शुरू किया गया था, जो सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पहचाने गए 148 जिलों पर विशेष फोकस के साथ जमीनी स्तर पर गहरी भागीदारी, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (कनवर्जेंस) और नवीन वित्तपोषण तंत्र पर बल देता है।

भारत सरकार ने खेत में पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत के जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, सतत् जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने के लिए "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" शुरू की। हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है। इस घटक के तहत, सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकाय योजनाओं की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजना को शामिल किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय जल निकाय योजनाओं के एसएमआई और आरआरआर के अंतर्गत सिंचाई क्षमता (आईपी) के सृजन और पुनरूद्धार के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है। दिनांक 31.07.2026 तक पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों के एसएमआई और आरआरआर के लिए सृजित/बहाल की गई राज्य-वार रूप से जारी केंद्रीय सहायता और सिंचाई क्षमता का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत जल संबंधी कार्यों पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की सिफारिश की गई है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

सरकार ने देश भर में भवनों और विकास परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए विभिन्न नियामक और सक्षम प्रावधान निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जल शक्ति मंत्रालय ने उद्योगों, अवसंरचना और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कर्षण के विनियमन के लिए दिनांक 24.09.2020 के दिशा-निर्देशों और दिनांक 29.03.2023 के संशोधनों को अधिसूचित किया।

(ii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने मॉडल बिल्डिंग उप-नियम, 2016 प्रकाशित किया, जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाले

सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन प्रावधानों की सिफारिश करता है, ऐसी इमारतों को अनुमोदन के लिए भवन योजना प्रस्तुत करते समय वर्षा जल संचयन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव शामिल करने के लिए अधिदेशित करता है, चाहे भवन का उपयोग कुछ भी हो।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित देश में लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) पूरा कर लिया है। सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 भी तैयार किया है। यह एक वृहद-स्तरीय योजना है जो जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों और जल भूवैज्ञानिक स्थितियों के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को दर्शाती है।

सीजीडब्ल्यूबी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के समन्वय से भूजल पुनर्भरण, निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों, भूजल निष्कर्षण और भूजल निष्कर्षण के चरण का अनुमान लगाने और समय के साथ उसमें परिवर्तनों का आकलन करने के लिए समय-समय पर सक्रिय भूजल संसाधन मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन परिणामों के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2017 में लगभग 432 बीसीएम से बढ़कर वर्ष 2025 में 448.52 बीसीएम हो गया। इसी अवधि के दौरान, 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत मूल्यांकन इकाइयों का अनुपात 62.6% से बढ़कर 73.14% हो गया, जबकि 'अति-दोहित मूल्यांकन इकाइयों का अनुपात 17.2% से घटकर 10.8% हो गया, जो भूजल परिदृश्य में समग्र सुधार का संकेत देता है। मूल्यांकन से यह भी संकेत मिलता है कि टैंकों, तालाबों और अन्य जल-संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण में 12.93 बीसीएम की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2017 में 13.98 बीसीएम से बढ़कर वर्ष 2025 में 26.91 बीसीएम हो गई। यह इस अवधि के दौरान भूजल पुनर्भरण में ऐसी संरचनाओं के योगदान में वृद्धि को दर्शाता है।

अनुलग्नक-I

"वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण" के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3168 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(जेएसजेबी: सीटीआर 2026) के तहत राज्य-वार विवरण - 04 अगस्त 2026 तक		
क्रम संख्या	**राज्य**	**पूर्ण कार्य**
1	आंध्र प्रदेश	43
2	बिहार	9
3	छत्तीसगढ़	59652
4	गुजरात	1396
5	हरियाणा	291
6	हिमाचल प्रदेश	3466
7	जम्मू और कश्मीर	1482
8	कर्नाटक	30
9	केरल	0
10	मध्य प्रदेश	39
11	महाराष्ट्र	740
12	मणिपुर	1
13	मिजोरम	3
14	ओडिशा	12
15	पंजाब	1944
16	राजस्थान	60190
17	तमिलनाडु	811
18	तेलंगाना	2417
19	त्रिपुरा	432
20	उत्तर प्रदेश	386
21	उत्तराखंड	380
कुल योग :		**133724**

जेएसजेबी 2.0 के तहत राज्य-वार विवरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**पूर्ण कार्य**
1	आंध्र प्रदेश	3108879
2	छत्तीसगढ़	2307768
3	मध्य प्रदेश	2190928
4	तेलंगाना	1588187
5	राजस्थान	582082
6	बिहार	542442

7	ओडिशा	281683
8	उत्तर प्रदेश	274960
9	गुजरात	220909
10	तमिलनाडु	206123
11	कर्नाटक	107797
12	पंजाब	61193
13	त्रिपुरा	55532
14	महाराष्ट्र	49886
15	जम्मू और कश्मीर	12652
16	हरियाणा	10562
17	झारखंड	8550
18	मेघालय	4748
19	हिमाचल प्रदेश	4257
20	उत्तराखंड	3980
21	केरल	3423
22	नागालैंड	870
23	असम	526
24	पुडुचेरी	476
25	मणिपुर	225
26	लद्दाख	149
27	गोवा	109
28	सिक्किम	89
29	मिजोरम	81
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73
31	लक्षद्वीप	27
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	24
33	दिल्ली	19
34	चंडीगढ़	16
35	पश्चिम बंगाल	14
36	अरुणाचल प्रदेश	6
कुल		**11629245**

जेएसजेबी 1.0 के तहत राज्य-वार विवरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**पूर्ण कार्य**

1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	119
2	आंध्र प्रदेश	36338
3	असम	1715
4	बिहार	134930
5	छत्तीसगढ़	405563
6	चंडीगढ़	11
7	दिल्ली	201
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	92
9	गोवा	7
10	गुजरात	133522
11	हिमाचल प्रदेश	148
12	हरियाणा	7465
13	झारखंड	2798
14	जम्मू और कश्मीर	6129
15	कर्नाटक	115303
16	केरल	5396
17	लद्दाख	1
18	महाराष्ट्र	7149
19	मेघालय	3356
20	मणिपुर	34
21	मध्य प्रदेश	278852
22	मिजोरम	1
23	नागालैंड	63
24	ओडिशा	101174
25	पंजाब	6093
26	पुडुचेरी	161
27	राजस्थान	364968
28	सिक्किम	18
29	तेलंगाना	520362
30	तमिलनाडु	73394
31	त्रिपुरा	12305
32	उत्तराखंड	2333
33	उत्तर प्रदेश	141055
34	पश्चिम बंगाल	27
कुल		**2361083**

अनुलग्नक-II

"वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण" के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3168 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत डब्ल्यूबी के एसएमआई और आरआरआर घटक के तहत जारी राज्य-वार केंद्रीय सहायता (सीए)

	सतही लघु सिंचाई (एसएमआई)											
		पीएमकेएसवाई 1.0					**पीएमकेएसवाई 2.0**					
क्र.सं.	**राज्य**	**वर्ष 2016-17**	**वर्ष 2017-18**	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26**	**वर्ष 2026-27 (#)**
1	अरुणाचल प्रदेश	20.52	10.26	22.25	17.49	104.69	142.73	41.95	138.7	77.27	173.39	17
2	असम	87.86	375.77	428.34	414.06	205.62	275.2	71.54	52.09	125.03	127.47	52
3	बिहार			32.28	16.14	10.65		4.48				
4	हिमाचल प्रदेश	1.13	49.28	66.2	147.91	59.8	60.31	40.5	142.3	38.63	95.87	9
5	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख		104.48	31.71	68.58	97.59						
6	कर्नाटक							30	37.5	37.5	111.53	11
7	मणिपुर	20	22.23			69.26	75.98	26.46	19.85		51.07	
8	मेघालय		44.44	31.5	22.22	57.07	100.47	46.52	74.21	57.09	57.67	4
9	मिजोरम		8.25		11.34	7.65	4.66		0.81		8.54	
10	नागालैंड	18.5	9.25	35.33	20.46	35.99	40.89	21.01	87.1	47.68	39.43	
11	सिक्किम		9	16.61	9.13	9.33	9.71	12.88	29.25	9.4	43.89	4
12	त्रिपुरा				9							
13	उत्तराखंड		32.4	61	31.78		29.63	17.2	93.4	76	48.68	5
	कुल एसएमआई	**148**	**665.35**	**725.2**	**768.11**	**657.65**	**739.58**	**312.54**	**675.22**	**468.6**	**757.54**	**102**
जल निकाय योजना की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर)												
		पीएमकेएसवाई 1.0					**पीएमकेएसवाई 2.0**					
क्र.सं.	**राज्य**	**वर्ष 2016-17**	**वर्ष 2017-18**	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26***	**वर्ष 2026-27 (#)**
1	आंध्र प्रदेश			2.7							3.02	2
2	असम										52.99	5.4
3	बिहार			6.26	11.82		8.62	7.28	7.78		6.1	3
4	गुजरात			8.81				3.16	2.57			
5	मणिपुर				24.26				3.7			
6	मेघालय		2.66									
7	नागालैंड								5.61	10.13	3.38	1
8	ओडिशा		3			34.54		11.1	56.25	46.67	59	7

9	राजस्थान		14.3		11.96			9.3	10.46	35.99	43.55	4
10	तमिलनाडु			7.03	16.75	1.25	17.43	27.7	49.6	26.98	67.59	4
11	तेलंगाना		59.68								0.78	
	कुल आरआरआर	**0**	**79.65**	**24.8**	**64.79**	**35.79**	**26.05**	**58.54**	**135.97**	**119.77**	**236.41**	**26.4**
कुल योग (एसएमआई + आरआरआर)		**148**	**745**	**750**	**832.9**	**693.44**	**765.63**	**371.08**	**811.19**	**588.36**	**993.95**	**128.4**

(#) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक जारी की गई मूल स्वीकृति

	वर्ष-वार सृजित/बहाल की गई सिंचाई क्षमता (आईपी) की स्थिति						
							(हजार हेक्टेयर में आईपी)

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना

		पीएमकेएसवाई 1.0					**पीएमकेएसवाई 2.0**			
क्रम संख्या	**राज्य**	**वर्ष 2016-17**	**वर्ष 2017-18**	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**
1	आंध्र प्रदेश									
2	अरुणाचल प्रदेश	1.66	0.51	3.31	0.00	4.82	4.54	2.82	4.87	3.96
3	असम	47.12	10.56	13.39	11.00		23.06	3.20	11.39	17.57
4	बिहार		14.07	9.70	8.66	2.15	0.07	0.00		
5	छत्तीसगढ़	3.57	0.80	0.50						
6	हिमाचल प्रदेश	1.61		2.15	5.46	7.76	3.62	1.62	0.35	10.94
7	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	7.12	2.71	12.34	2.24		8.69			1.17
8	झारखंड	0.41	1.08	4.60						
9	कर्नाटक								3.48	8.25
10	मध्य प्रदेश	31.83								
11	महाराष्ट्र									
12	मणिपुर	1.00	0.80	0.70		5.79			9.64	
13	मेघालय	5.42	0.88		3.94	3.66	4.76	1.87	5.94	3.37
14	मिजोरम	0.16			1.26	0.49	0.04			0.22
15	नागालैंड	0.48		0.00	2.02		2.40	3.10	4.84	0.52
16	ओडिशा									
17	राजस्थान									
18	सिक्किम	2.50	0.60	0.25	0.83					1.00
19	त्रिपुरा									
20	उत्तराखंड	4.06	2.16	1.96	4.61	2.58	1.94	3.60	0.36	8.65

21	पश्चिम बंगाल									
	कुल	**106.94**	**34.17**	**48.92**	**40.00**	**27.25**	**49.12**	**16.21**	**40.87**	**55.65**
जल निकाय योजना की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर)										
क्रम संख्या	**राज्य**	**वर्ष 2016-17**	**वर्ष 2017-18**	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**
1	आंध्र प्रदेश									1.47
2	बिहार					17.87	3.92	0.00		0.02
3	छत्तीसगढ़									
4	गुजरात				0.14	1.69	0.72	1.15	0.20	
5	हरियाणा									
6	कर्नाटक									
7	मध्य प्रदेश		8.00							
8	महाराष्ट्र									
9	मणिपुर						0.00	0.00	0.62	
10	मेघालय	0.58	0.27		0.03					
11	ओडिशा	21.00		2.51	1.46			0.45	2.50	12.44
12	राजस्थान	7.03	0.07	2.85				1.76	3.62	3.68
13	तमिलनाडु	1.73	0.72	0.74	0.61	0.82	0.10	1.56	5.99	1.69
14	तेलंगाना		2.54	8.51	3.62	0.80	0.45	0.39		9.24
15	उत्तर प्रदेश			2.35						
	कुल	**30.34**	**11.60**	**16.96**	**5.86**	**21.18**	**5.19**	**5.31**	**12.93**	**28.54**
	कुल योग एसएमआई + आरआरआर)	**137.27**	**45.77**	**65.88**	**45.86**	**48.43**	**54.31**	**21.53**	**53.80**	**84.19**

अनुलग्नक-III

"वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण" के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3168 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मनरेगा के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल से संबंधित कार्यों पर किए गए कुल व्यय का राज्य-वार विवरण (30 जून 2026 तक)					
क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2026-27	वर्ष 2025-26	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24
		कुल व्यय (रुपये लाख में)	कुल व्यय (रुपये लाख में)	कुल व्यय (रुपये लाख में)	कुल व्यय (रुपये लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	3,62,583.20	4,23,743.72	5,11,880.31	5,14,379.93
2	अरुणाचल प्रदेश	1,059.86	12,814.33	13,639.76	12,951.16
3	असम	9,662.87	30,092.80	53,745.42	49,578.82
4	बिहार	1,26,359.98	2,54,134.30	3,44,334.45	2,92,387.84
5	छत्तीसगढ़	80,500.58	1,15,646.53	1,86,348.14	1,97,062.26
6	गोवा	39.64	177.76	238.31	124.58
7	गुजरात	14,835.25	35,689.53	52,708.08	60,509.55
8	हरियाणा	1,938.61	19,811.66	32,764.92	28,135.99
9	हिमाचल प्रदेश	1,836.26	18,808.80	30,639.85	28,556.19
10	जम्मू और कश्मीर	12,319.41	64,445.15	46,436.34	39,892.44
11	झारखंड	16,843.21	1,37,349.49	1,66,297.00	1,60,742.10
12	कर्नाटक	63,000.71	1,96,425.94	3,02,732.06	2,65,944.87
13	केरल	26,354.24	63,323.44	66,497.81	92,957.08
14	लद्दाख	543.55	3,314.11	2,902.29	2,845.97
15	मध्य प्रदेश	67,590.53	2,96,290.68	3,56,886.32	3,61,629.38
16	महाराष्ट्र	42,617.03	2,14,455.12	2,39,754.33	1,44,460.63
17	मणिपुर	21,561.67	48,466.65	45,477.42	32,111.43
18	मेघालय	7,289.16	20,059.91	24,622.70	22,061.18
19	मिजोरम	6,072.73	24,349.95	22,409.54	16,237.72
20	नागालैंड	1,100.65	3,834.66	4,973.84	14,048.16
21	ओडिशा	35,072.87	2,18,176.51	1,91,790.79	2,18,509.20
22	पंजाब	6,460.76	43,996.76	56,827.20	52,704.32
23	राजस्थान	1,02,737.15	2,99,567.98	4,54,760.48	4,84,784.94
24	सिक्किम	363.24	2,261.88	2,272.23	2,761.51
25	तमिलनाडु	78,561.72	3,69,323.28	5,88,808.19	9,60,527.77
26	तेलंगाना	1,58,320.07	94,712.17	1,73,339.79	1,30,435.70
27	त्रिपुरा	13,736.10	24,045.43	22,550.24	22,581.67
28	उत्तर प्रदेश	55,097.74	2,74,515.94	3,29,090.58	2,97,403.77
29	उत्तराखंड	3,112.27	16,633.42	19,738.05	24,723.20
30	पश्चिम बंगाल	70.13	3.03	-	5.73

31	अंडमान और निकोबार	31.19	92.66	93.59	236.37
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	65.10	54.79	8.61	-
33	लक्षद्वीप	-	-	-	10.16
34	पुदुचेरी	733.36	3,461.69	3,373.61	5,763.27
	कुल	**13,18,470.84**	**33,30,080.07**	**43,47,942.25**	**45,37,064.89**
